रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2007/ज्येष्ठ 2, 1929

No. 610] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2007/JYAISTHA 2, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2007

सं. 6 (आरई-2007)/2004—2009

का.आ. 804 (अ).—यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (19-4-2007 तक अद्यतन) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (19-4-2007 तक अद्यतन) के पैरा 3.9.2 के प्रथम वाक्य में "ई डी आई समर्थित पत्तनों के माध्यम से" शब्दों को हटाया जाता है।
3. विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (19-4-2007 तक अद्यतन) के पैरा 3.10.2 के प्रथम वाक्य में "ई डी आई समर्थित पत्तनों के माध्यम से" शब्दों को हटाया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप गैर-ई डी आई समर्थित पत्तनों से पोतलदान भी फोकस उत्पाद स्कीम और फोकस मार्केट स्कीम के तहत लाभों के लिए पात्र होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/360/एएम 06/पी सी-I]

भवानी सिंह मीना, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2007

No. 6 (RE-2007)/2004—2009

S.O. 804(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2004—2009, as amended, the Central Government hereby makes the following amendments in FTP, 2004—2009 (Updated as on 19-4-2007).

2. The words 'through EDI enabled ports' in the first sentence of Para 3.9.2 of FTP, 2004—2009 (Updated as on 19-4-2007) is deleted.
3. The words 'through EDI enabled ports' in the first sentence of Para 3.10.2 of FTP, 2004—2009 (Updated as on 19-4-2007) is deleted.

Consequently shipments from non-EDI enabled ports shall also be eligible for benefits under Focus Product Scheme and Focus Market Scheme.

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/360/AM 06/PC-I]

B. S. MEENA, Director General of Foreign Trade and Ex Officio Addl. Secy.

2525 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.